

भारत में प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन की पुनर्कल्पना

यह संपादकीय 05/11/2024 को दृष्टि में प्रकाशित “[A cut in time: On the plastic pollution problem](#)” पर आधारित है। इस लेख में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक प्लास्टिक संधि में गतिशीलता का उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्पादन में कटौती का समर्थन करने वाले विकसित देशों और आर्थिक चिंताओं के कारण भारत जैसे विकासशील देशों के बीच वित्तीय अंतर को उजागर किया गया है। यह भारत के पुनर्चक्रण अंतर, जो अपने वार्षिक प्लास्टिक अपशष्टि का केवल एक तिहाई प्रबंधन करता है, को रेखांकित करता है और बेहतर अपशष्टि प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रलिस के लिये:

[प्लास्टिक प्रदूषण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक प्लास्टिक संधि, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना, डाइऑक्साइड और फ्लूरोकार्बन, माइक्रोप्लास्टिक, पेरिस समझौता, प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016, शहरी स्थानीय निकाय, पर्यावरण कक्षाप्रतिष्ठान, हैदराबाद का जवाहर नगर WTE प्लांट](#)

मेन्स के लिये:

प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भर भारत के प्रमुख क्षेत्र, भारत में प्लास्टिक अपशष्टि के कुप्रबंधन से उत्पन्न चुनौतियाँ

[संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक प्लास्टिक संधि](#) के माध्यम से [प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण](#) का वैश्विक पर्याय गतिशीलता पर पहुँच गया है, जिससे इस पर्यावरणीय खतरे से निपटने के तरीके पर देशों के बीच गहन मतभेद सामने आए हैं। जबकि विकसित देश और द्वीप राष्ट्र प्लास्टिक के व्यापक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिये सख्त उत्पादन कटौती के पक्षधर हैं जिनमें भारत सहित कई विकासशील देश ऐसे उपायों का वरिध करते हैं, उन्हें आर्थिक खतरे के रूप में देखते हैं। भारत की वर्तमान प्लास्टिक पुनर्चक्रण क्षमता उसके वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन का केवल एक तिहाई है, जो प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन के लिये एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की बहुत बड़ी आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **पैकेजिंग उद्योग:** भारत की प्लास्टिक व्यय का लगभग 59% हिससा पैकेजिंग उद्योग के लिये ज़िम्मेदार है तथा यह क्षेत्र कफायत और लागत प्रभावशीलता के लिये सख्त व लचीले दोनों प्रकार के प्लास्टिक पर निर्भर करता है।
 - **ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार** में वृद्धि ने प्लास्टिक पैकेजिंग की मांग को बढ़ा दिया है।
 - उदाहरण के लिये, कोविड-19 महामारी के दौरान प्लास्टिक पैकेजिंग के व्यापक उपयोग से आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित वितरण में सुविधा हुई।
- **भवन एवं निर्माण:** यह क्षेत्र संरक्षण प्रतिलिपि और दीर्घजीवित के कारण **पाइपों, इंसुलेशन और फिटिंग्स में प्लास्टिक का प्रयोग** करता है।
 - सरकार की ‘**सभी के लिये आवास**’ पहल ने कफायती आवास परियोजनाओं में प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे निर्माण दक्षता बढ़ी है और लागत कम हुई है।
- **ऑटोमोटिव उद्योग:** प्लास्टिक **ऑटोमोटिव घटकों** जैसे डैशबोर्ड, बंपर और ईंधन टैंक के निर्माण में अभिन्न अंग है, जो इनका वजन कम रखने एवं ईंधन दक्षता में सहायता करता है।
 - **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** की ओर बढ़ते रुझान ने बैटरी की आयु और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये हल्के प्लास्टिक पदार्थों के अंगीकरण में तेज़ी ला दी है।
- टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने EV मॉडलों में उन्नत प्लास्टिक कंपोजिट को शामिल किया है।
 - **कृषि:** कृषि क्षेत्र में **ड्रिप सचिवाई प्रणाली, ग्रीनहाउस फ़िल्म** और **मलचिंग** जैसे अनुप्रयोगों में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल संरक्षण एवं फसल की उपज बढ़ती है।
 - **प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना** सूक्ष्म सचिवाई तकनीकों को बढ़ावा देती है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये प्लास्टिक आधारित समाधानों की मांग बढ़ रही है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** प्लास्टिक **चिकित्सा उपकरणों, डिसिपोजेबल्स और पैकेजिंग** के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, जिससे स्वच्छता व रोगी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
 - **कोविड-19 महामारी** ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) कपड़े, सरिजि और वैक्सीन शीशियों के निर्माण में प्लास्टिक के महत्व को रेखांकित किया, जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रयासों में सुविधा हुई।

भारत में प्लास्टिक अपशष्टि के कुप्रबंधन से क्या चुनौतियाँ उभर रही हैं?

- पर्यावरण क़षरण: भारत में प्लास्टिक अपशष्टि की मात्रा प्रतविरष लगभग 9.3 मिलियन टन है, जिसमें से 40% एकत्रित नहीं किया जाता है, जिससे नदियों, मटिटी और समुद्री पारस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
 - गंगा जैसी नदियाँ वैश्विक नदी प्लास्टिक प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, जिससे जलीय जैवविविधता और खाद्य शृंखला बाधित होती है।
 - प्लास्टिक को वधित होने में 500-1000 वर्ष लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल स्रोतों में सूक्ष्म प्लास्टिक संदूषण हो जाता है, जो पारस्थितिकी तंत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट: प्लास्टिक अपशष्टि का खुले में दहन के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों में बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इससे डाइऑक्साइड और फ्युरॉन जैसे हानिकारक कैंसरकारी रसायन उत्सर्जित होते हैं।
 - इसके अतिरिक्त जल, सी-फूड और नमक के माध्यम से मानव खाद्य शृंखला में माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रवष्टि से अंतःस्रावी व्यवधान एवं बाँझपन जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
 - वर्ष 2024 में जल नकियाँ में मुक्त किये जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक के शीर्ष 4 योगदानकर्ताओं में भारत शामिल होगा।
- आर्थिक बोझ: भारत अपने प्लास्टिक अपशष्टि का 60% पुनर्चक्रण करता है जो वैश्विक औसत 9% से बहुत अधिक है।
 - हालाँकि यह मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संचालित है, जिसमें 1.5 मिलियन कूड़ा बीनने वाले लोग खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बीमा या उचित मजदूरी की बहुत कम सुलभता है।
 - इससे सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर बने रहने की प्रवृत्ति कायम रहती है। इसके अलावा, प्लास्टिक प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इससे मत्स्यिकी, पर्यटन राजस्व और शहरी बुनियादी अवसंरचना को नुकसान पहुँचता है।
- नियामक अंतराल: जुलाई 2022 में कृषि एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और वसितारति निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) विनियमों की स्थापना के बावजूद, सीमित निगरानी एवं प्रवर्तन के कारण अनुपालन कमजोर बना हुआ है।
 - छोटे पैमाने के निर्माता, जो प्लास्टिक उद्योग का 90% हिस्सा हैं, उच्च अनुपालन लागत का सामना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध होता है और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर अप्रभावी संक्रमण होता है।
 - वर्जित एवं पर्यावरण केंद्र की नई रिपोर्ट में 70,000 फरजी प्रमाण-पत्रों, प्रमुख प्रदूषकों के कम पंजीकरण तथा प्लास्टिक कटलरी जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन जारी रहने का खुलासा किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन संबंध: प्लास्टिक पेट्रोलियम आधारित है और इसका उत्पादन और भस्मीकरण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का बहुत बड़ा कारण है। पैकेजिंग, कृषि (जैसे- प्लास्टिक मलचगि अर्थात् पौधों के चारों ओर की भूमि को प्लास्टिक फिल्म से व्यवस्थित रूप से ढकने की प्रक्रिया) और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक पर भारत की बढ़ती निर्भरता देश के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाती है।
 - इसके अतिरिक्त, ऊर्जा-गहन पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों को कमजोर करती हैं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: भारत को प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने में महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की खपत में सगिल यूज़ प्लास्टिक की व्यवहार्यता गहन है।
 - वैकल्पिक उपायों और उचित अपशष्टि पृथक्करण के बारे में जन जागरूकता अपर्याप्त है, जिससे सरकारी पहलों की सफलता सीमित हो रही है।
 - सांस्कृतिक प्रथाओं, जैसे त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर प्लास्टिक-उपभोग, के कारण प्लास्टिक अपशष्टि में मौसमी वृद्धि भी होती है, जिससे नगरपालिका प्रणाली पर बोझ पड़ता है।
 - बृहनमुंबई नगर निगम (BMC) ने वर्ष 2024 में गणेश चतुर्थी के बाद मुंबई के सात समुद्र तटों से 363 मीटरिक टन (MT) ठोस अपशष्टि एकत्र किया।
- सरकुलर इकॉनमी समाधानों का अभाव: भारत का अपशष्टि प्रबंधन बुनियादी अवसंरचना बढ़ते प्लास्टिक बोझ से निपटने के लिये अपर्याप्त बना हुआ है।
 - केवल 12-15% प्लास्टिक अपशष्टि का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि शेष को लैंडफिल या जलमार्गों में डाल दिया जाता है।
 - पायरोलिसिस और बायोप्लास्टिक्स जैसी नवीन प्रौद्योगिकियाँ, जो प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन में सुधार कर सकती हैं, उच्च लागत एवं अपर्याप्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी के कारण कम उपयोग की जाती हैं।

भारत में वर्तमान प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन फ्रेमवर्क क्या है?

- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016: अपशष्टि उत्पादन को कम करने, कूड़ा-अपशष्टि फैलाने से रोकने और पृथक्करण तथा उचित निपटान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसने उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिये वसितारति निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) की शुरुआत की है। प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी कार्यान्वयन के लिये शामिल किया गया है।
- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018: इसके तहत गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य या गैर-पुनः प्रयोज्य बहु-स्तरीय प्लास्टिक (MLP) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के तहत उत्पादकों के लिये पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है।
- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन संशोधन नियम, 2021: वर्ष 2022 तक वशिष्ट एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना तथा पैकेजिंग अपशष्टि के लिये EPR अनिवार्य करना शामिल है। दिसंबर 2022 तक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रोन करना शामिल है।
- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022: यह अनिवार्य पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग लक्ष्य निर्धारित करता है, गैर-अनुपालन के लिये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाता है, और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024: निर्माताओं और आयातकों के लिये पंजीकरण, रिपोर्टिंग एवं प्रमाणन आवश्यकताओं को

नरिदषिट करता है। 'आयातकरत्ता' एवं 'उत्पादक' की परभाषाओं का वसितार करता है, बायोडगिरेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लयि प्रमाणन को अनविरय बनाता है तथा उपभोक्ता-पूरव प्लास्टिक अपशषिट की रणिरटगि की आवशयकता शामलि है।

प्लास्टिक अपशषिट के प्रभावी प्रबंधन के लयि भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्रोत पर अपशषिट पृथक्करण को सुदृढ बनाना: प्रभावी पुनरचकरण और नपिटान** के लयि घरेलू एवं संस्थागत स्तर पर प्लास्टिक अपशषिट को पृथक् करना आवशयक है।
 - प्रोत्साहन और सख्त दंड के साथ समुदाय-आधारति मॉडल को लागू करने से बेहतर अनुपालन सुनशचिति हो सकता है।
 - **शहरी स्थानीय नकियायों** (ULB) को अपशषिट पृथक्करण और प्रसंस्करण पर नजर रखने के लयि **डजिटल नगिरानी उपकरणों में नविश करने हेतु सुसज्जति एवं वतितपोषति** कथिा जाना चाहयि।
 - उदाहरण के लयि, **इंदौर जैसे शहरों ने** व्यापक जागरूकता और नगिरानी के माध्यम से **100% स्रोत पृथक्करण लक्ष्य** प्राप्त कथिा जो आज भारत में शहरी अपशषिट प्रबंधन के लयि एक मॉडल बन चुका है।
- **पुनरचकरण अवसंरचना और चकरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: मशीनीकृत पुनरचकरण इकाइयों का वसितार तथा पायरोलसिस और रासायनकि पुनरचकरण जैसी उन्नत प्रोद्योगकियों का अंगीकरण** प्लास्टिक अपशषिट प्रसंस्करण दरों में सुधार कर सकता है।
 - **स्टार्टअप और अनौपचारकि क्षेत्र** के साथ साझेदारी से रीसाइक्लिंग में नवाचार को बढ़ावा मलि सकता है।
 - **रलायंस** भारत में प्लास्टिक अपशषिट आधारति पायरोलसिस तेल को रासायनकि रूप से पुनरचकरति करके **अंतरराष्ट्रीय स्थरिता और कारबन प्रमाणन (ISCC) प्लस प्रमाणति चकरीय पॉलमिर में बदलने वाली पहली कंपनी** बन गई है, जो एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।
- **बायोडगिरेडेबल और वैकल्पकि पदार्थों को बढ़ावा देना: बायोडगिरेडेबल प्लास्टिक और जूट, पटसन एवं बाँस आधारति पैकेजगि** जैसे विकल्पों के लयि अनुसंधान एवं वकिस (R&D) में नविश करने से पारंपरकि प्लास्टिक पर नरिभरता कम हो सकती है।
 - पर्यावरण अनुकूल स्टार्टअप के लयि सरकारी सबसिडी और कर लाभ इन विकल्पों के उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
 - इन विकल्पों के बारे में उपभोक्ता और व्यवसायकि शकषिा भी आवशयक है।
- **वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव (EPR) फरेमवरक को मज्जबूत करना:** EPR के सख्ती से अनुपालन को अनविरय बनाना उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालकियों को उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक अपशषिट के संग्रहण एवं पुनरचकरण के लयि वतितपोषण सुनशचिति करता है।
 - **नयिमति ऑडिट और डजिटल ट्रैकगि टूल** जवाबदेही सुनशचिति कर सकते हैं। गैर-अनुपालन के लयि वतित्तीय दंड और लक्ष्य से अधिक काम करने पर प्रोत्साहन की शुरुआत की जानी चाहयि।
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEFCC) ने अपशषिट टायर प्रबंधन को बढ़ाने के लयि **नपर्यावरण कषतपूरति (EC) दशानरिदेशों को मंजूरी दे दी है।**
 - अपने वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR) लक्ष्यों को पूरा करने में वकिल रहने वाले नरिमाताओं को प्रतति कलोग्राम बेकार टायरों पर **8.40 रुपए** तक का जुर्माना देना होगा, जो अन्य क्षेत्रों के लयि एक मॉडल बन सकता है।
- **अनौपचारकि क्षेत्र को औपचारकि अपशषिट प्रबंधन में एकीकृत करना:** भारत का अनौपचारकि क्षेत्र अपने प्लास्टिक अपशषिट का बड़ा हसिसा पुनरचकरति करता है, लेकिन शरमकों के पास प्रायः सुरकषा उपकरण, उचित मजदूरी या वतित्तीय स्थरिता का अभाव होता है।
 - **प्रशकषण, सुरकषा उपकरण प्रदान करके तथा उन्हें ULB अनुबंधों में एकीकृत करके** इस क्षेत्र को औपचारकि रूप देने से सामाजकि समानता सुनशचिति करते हुए दक्षता में सुधार कथिा जा सकता है।
 - अपशषिट सहकारी समतियिों और सूक्ष्म वतित पोषण विकल्प इन शरमकों को सशक्त बना सकते हैं।
 - उदाहरण के लयि, **पुणे स्थति SWaCH 3,000 से अधिक अपशषिट/कूड़ा बीनने वालों को रोजगार** देता है, सम्मानजनक आजीवकिा भी प्रदान करता है तथा प्रतविरष 50,000 टन अपशषिट का प्रसंस्करण करता है।
- **प्रोद्योगकिी और डेटा वशिलेषण का लाभ उठाना:** EPR अनुपालन पर नजर रखने के लयि AI-संचालति छँटाई मशीनों, GPS-सक्ष्म अपशषिट संग्रह प्रणालयिों और ब्लॉकचेन की इंस्टॉलेशन से प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन को सुव्यवस्थति कथिा जा सकता है।
 - **संग्रहण, प्रसंस्करण और पारस्थितिकी तंत्र में उत्सर्जन** के रयिल टाइम डेटा नरिणय लेने तथा संसाधन आवंटन में सुधार कर सकते हैं।
 - नागरकि सहभागति के लयि मोबाइल ऐपस पारदर्शति बढ़ा सकते हैं।
- **अपशषिट से ऊर्जा संयंत्र वकिसति करना: अपशषिट-से-ऊर्जा (WTE) संयंत्रों की स्थापना** से गैर-पुनरचकरणीय प्लास्टिक अपशषिट को ऊर्जा में परविरतति कथिा जा सकता है, जसिसे लैंडफलि दबाव कम हो सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान मलि सकता है।
 - दहन के दौरान वषिकत गैस उत्सर्जन को रोकने के लयि कड़े पर्यावरण नयितरण आवशयक हैं।
 - सार्वजनकि-नजी भागीदारी इन संयंत्रों का वतितपोषण और संचालन प्रभावी ढंग से कर सकती है।
 - **हैदराबाद का जवाहर नगर WTE संयंत्र** एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।
- **समुदायों को शकषति और सकरयि करना:** समुदाय-नेतृत्व वाले अपशषिट प्रबंधन मॉडल ज़मीनी स्तर पर ज़मिेदारी और कार्रवाई की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
 - **स्कूल कारयकर्म, जागरूकता अभयान और प्रोत्साहन पहल** नागरकियों को संधारणीय अपशषिट प्रबंधन पद्धतयिों को अपनाने के लयि प्रेरति कर सकते हैं।
 - स्थानीय स्वयं सहायता समूह जागरूकता फैलाने और अपशषिट संग्रहण अभयान आयोजति करने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिा सकते हैं।
 - **अलपपुझा की 'स्वच्छ शहर' पहल**, जसिने नविसयिों को वकेंद्रीकृत अपशषिट प्रबंधन में शामलि कथिा, **को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई।**
- **उद्योग में प्लास्टिक के प्रयोग पर कानून बनाना और नगिरानी करना: कृषि (प्लास्टिक मलचगि फलिम) और लॉजसिटकिस** जैसे उद्योग प्लास्टिक पर नरिभर करते हैं, जसिके लयि प्लास्टिक उत्सर्जन को न्यूनतम करते हुए इनके प्रयोग को अनुकूलतम बनाने के लयि क्षेत्र-वशषिट वनियमन की आवशयकता होती है।
 - कर प्रोत्साहन और अनविरय पुनरचकरण कोटा के माध्यम से उद्योगों को **हलके, पुनः प्रयोज्य या वधितनीय पैकेजगि विकल्प** अपनाने

के लिये प्रोत्साहति करने से प्लास्टिक अपशष्टि को कम करने में मदद मलि सकती है ।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वतितपोषण को बढ़ावा देना: ज्ञान साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय हरति नधियों की सुलभता के लिये वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग करने से अपशष्टि प्रबंधन में नवाचार एवं बुनयिादी अवसंरचना वकिस को समर्थन मलि सकता है ।
 - ग्लोबल प्लास्टिक एकशन पार्टनरशपि जैसी वैश्विक पहलों में भाग लेने से तकनीकी और वतित्तीय सहायता मलिती है ।
 - प्लास्टिक संधि के लिये अंतर-सरकारी वार्ता समतिि में भारत की सक्रयि भागीदारी वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को नयित्तरति करने की दशिा में एक प्रशंसनीय कदम है ।

नषिकर्ष:

भारत अपनी प्लास्टिक अपशष्टि चुनौती से नपिटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसके लिये एक्समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक अनविरयताओं को पर्यावरणीय सधरिता के साथ संतुलति करे । आगे की राह सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक पर्यासों की मांग करती है, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी/चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान वकिसति करने एवं संधारणीय वकिलपों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रति कयिा जाना चाहयि । अंततः, प्लास्टिक अपशष्टि के प्रबंधन में भारत की सफलता न केवल पर्यावरणीय जोखिमों को कम करेगी बल्कदिश को सतत् वकिस में वैश्विक नेतृत्वकार के रूप में भी स्थापति करेगी ।

???????? ???? ???? ????:

प्रश्न. अनेक वनियामक उपायों के बावजूद, भारत में प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन को अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिमों के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दों का अभनिरिधारण करते हुए चर्चा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिमें एक महत्त्वपूर्ण वशिषता के रूप में 'वसितारति उत्पादक दायतिव' आरंभ कयिा गया था? (2019)

- जैव चकितिसा अपशष्टि (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 1998
- पुनर्चकरति प्लास्टिक (नरिमाण और उपयोग) नयिम, 1999
- ई-अपशष्टि (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 2011
- खाद्य सुरक्का और मानक वनियिम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न. राष्ठीय हरति अधकिरण (एन.जी.टी.) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयित्तरण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भनिन है? (2018)

- एन.जी.टी. का गठन एक अधनियिम द्वारा कयिा गया है जबकसी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कयिा गया है ।
- एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता कराता है जबकसी.पी.सी.बी. झरनों और कुँओं की सफाई को प्रोत्साहति कराता है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. पर्यावरण में नरिमुक्त हो जाने वाली 'सूक्ष्ममणकिाओं (माइक्रोबीड्स)' के वषिय में अत्यधिक चतिा क्यों है? (2019)

- ये समुद्री पारतित्रों के लिये हानकिारक मानी जाती हैं ।
- ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं ।
- ये इतनी छोटी होती हैं कसिचिति कृषेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषति हो जाती हैं ।
- अकसर इनका इस्तेमाल खाद्य-पदार्थों में मलावट के लिये कयिा जाता है ।

उत्तर: (a)

?????

प्रश्न. नरिंतर उत्पन्न कयिे जा रहे फेंके गए ठोस अपशषिट की वशिल मातराओं का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशषिटों को सुरक्षति रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reimagining-plastic-waste-management-in-india>

